


राजस्थान सरकार
निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ 23()स्था/निकाशि/अशै/आर.वी.आर.ई.एस/2012/ 466 दिनांक - 22/07/13

कार्यालय आदेश

राजस्थान स्वैच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवानियम 2010 के तहत उपस्थित अशैक्षणिक कर्मचारियों को उनके पदस्थापन की तिथि तक वेतन आदि समेकित के भुगतान के आदेश समय-समय पर जारी किये जाकर कर्मचारियों को भुगतान किया गया है। श्री खर्ता राम चौधरी को पूर्व में अगस्त 2012 तक का भुगतान राजकीय बांगड़ महाविद्यालय पाली द्वारा किया गया है। सहायक निदेशक क्षेत्रीय कार्यालय कॉलेज शिक्षा राज. जयपुर के आदेश क्रमांक एफ4(क्षे.का. ज.)निकाशि/2011/189 दिनांक 23.02.2012 के द्वारा इनका पद नाम क. लिपिक से च.श्रे. कर्मचारी संशोधित किया गया है। इस आदेश का क्रियान्वयन माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, पीठ जोधपुर के अंतरिम आदेश दिनांक 28.02.2012 के द्वारा स्थगित किया गया है जिस कारण श्री खर्ता राम का पदस्थापन होना शेष है। अतः श्री खर्ताराम को पूर्व की भांति माह मार्च 2013 से जून 2013 तक वेतन आदि समेकित राशि रुपये 16000/- (अक्षरे रुपये सोलह हजार) प्रतिमाह राजकीय बांगड़ महाविद्यालय महाविद्यालय पाली से बजट शीर्ष 2202-03-103-(02) राजकीय महाविद्यालय पुरुषों के लिए -(00)-01 संवेतन (आयोजना भिन्न) से किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।


1. कर्मचारी को देय वेतन आदि (समेकित) का भुगतान नियमित वेतन से समायोजन के अन्वय में होगा।
2. कर्मचारी को देय वेतन आदि (समेकित) का भुगतान अविलम्ब करवाया जाकर विभाग को अवगत करवाया जाना है।


(जै सिंह)
निदेशक

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 23()स्था/निकाशि/अशै/आर.वी.आर.ई.एस/2012/ दिनांक -
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. उप शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर
3. निजी सचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (प्रशासन/अनुदान) कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर।
6. सहायक लेखाधिकारी, मुख्यालय, कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर को आवश्यकता अनुसार बजट प्रावधान उपलब्ध करवाने हेतु।
7. प्राचार्य, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय पाली।
8. सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय कॉलेज शिक्षा जोधपुर/ जयपुर
8. सम्बन्धित कोषाधिकारी/ उप-कोषाधिकारी
9. श्री धीरेन्द्र देवर्षी, व्याख्याता को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली


वित्तीय सलाहकार
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर